राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5035/2022

महिपाल सिंह —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर, राजस्थान।
3. श्री सुभाष सिंह, प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुसाईसर बडा, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.09.2022
आदेश की दिनांक : 01.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री धर्म चंद जैन, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिदानिया, झुंझुनूं में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण शहीद जाकिर अली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिदानीया, झुंझुनूं से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुसाईसर बडा, बीकानेर किया गया है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का आगे तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को समंजित (Accommodate) करने के आशय से प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी सुभाष सिंह का स्थानान्तरण राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गुसाईसर बडा, बीकानेर से शहीद जाकिर अली राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिदानीया, झुंझुनूं किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 12.10.2022 (अनुलग्नक–3) के द्वारा अपीलार्थी को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने 29.09.2022 को अपील दाखिल करके इस माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष दिनांक 24.09.2022 के आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है, लेकिन अपील के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादी संख्या 2 ने एक के बाद स्थानान्तरण

के लिए एक और आदेश जारी किया है जो 10.10.2022 को 15 दिनों की अवधि में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के स्थान पर स्थानान्तरणा कर दिया गया जो अनुचित एवं अवैध है। अपीलार्थी की पत्नी राजकीय सेवा में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर चिडावा, झुंझुनूं में कार्यरत है तथा राज्य सरकार की नीति रही है कि यदि पति–पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हो तो उन्हें एक ही स्थान या आस–पास नियुक्त किया जावे। अपीलार्थी की सेवानिवृति में तीन साल से कम का समय बचा है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–2) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 12.10.2022 (अनुलग्नक–3) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर प्रधानाचार्य के पद पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिदानिया, झुंझुनूं में कार्य करने दिया जावे

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–2) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–2) से किया गया तथा आदेश दिनांक 24.09.2022 (अनुलग्नक–1) से प्रत्यर्थी संख्या–3 को अपीलार्थी की जगह स्थानान्तरित किया गया था। अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या–3 को स्थानान्तरित किए जाने से प्रकरण में समंजन (Accommodation) की स्थिति विद्यमान नहीं होती है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है तथा कोई दुर्भावना की स्थिति नहीं है। अपीलार्थी को स्थानान्तरण पर टीए/डीए देय किया गया है। अतः आलोच्य आदेश में किसी प्रकार की विधिक विसंगति प्रतीत नहीं होती है। अतः आलोच्य आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अतः अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज योग्य होने के कारण एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य